संख्या 233/36-चार-1988-134/85

प्रेषक,

श्री डी०के० मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उ०प्र०,
कानपुर ।

श्रम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 1988

विषय:- उत्तर प्रदेश की श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1060/अ०श्र०(गृह)कैम्प-87 दिनांक 27 मार्च, 1987 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की श्रमिक बस्तियों की अनधिकृत कब्जेदारी आदि समस्याओं के निदान हेतु शासन के विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(1) सेवायोजन में परिवर्तन के मामलों में यदि वर्तमान सेवायोजन में रहने पर भी अध्यासी पात्रता की श्रेणी में आता है तो अध्यासी के साथ नया एग्रीमेन्ट करके अध्यासन नियमित कर दिया जाय । नियमन हेतु पात्रता की परिधि में औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के वे सभी व्यक्ति आयेंगे जिनके हित में नियमन करने के आदेश वर्ष 1974 में शासनादेश संख्या 1409/36-4-33(अ)/69 दिनांक 30.5.74 में जारी किये गये थे ।

(2) राजस्व बकाया में यदि अध्यासी पात्र व्यक्ति की श्रेणी में आता हो तो, सम्पूर्ण बकाया जमा कर देने पर अध्यासन नियमानुसार नियमित कर दिया जाय तथा मुकदमें की कार्यवाही समाप्त की जाये ।

(3) मृतक/सेवानिवृत्त अध्यासियों के मामलों में यदि भारत सरकार के पत्र सं० 14018/3/77-एच०आई०दिनांक 23.2.77 के अनुरूप अध्यासी के माता-पिता/पत्नी-पति/पुत्र अथवा पुत्री पात्रता की श्रेणी में आते हों, तो आवंटन उनके पक्ष में कर दिया जाय ।

यदि उक्त कोटि के व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं आते तब, भवन का आवंटन उनके पक्ष में स्टैण्डर्ड रेन्ट पर किया जाये ।

(4) अवैध निर्माण के मामलों में (अ) यदि आवंटी ने ( ) श्रेणी अथवा अस्थायी प्रकार के निर्माण(जैसे चहारदीवारी की ऊँचाई बढाना

----2

अथवा टेम्परेरी टिन शेड इत्यादि भवन स्थल की निर्धारित सीमा में बना हैं और ऐसे निर्माण कार्यों से किसी अन्य आवंटी को असुविधा नहीं महसूस होती है, तो ऐसे मामलों में उत्सीडन की कार्यवाही न की जाये तथा ऐसे निर्माण को औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी जाये ।

(ब) यदि आवंटी द्वारा भवन स्थल की निर्धारित सीमा में स्थायी प्रकृति के निर्माण कराये गये हैं परन्तु उनसे किसी अन्य आवंटी को असुविधा नहीं होती है, ऐसे मामलों में पेनाल्टी/लेवीपीस लेकर मामले को कम्पाउण्ड करने की कार्यवाही की जाये, पेनाल्टी तथा लेवी निर्धारण की कार्यवाही कृपया अपने स्तर पर सम्पादित करें ।

(स) यदि अवैध निर्माण भवन स्थल की निर्धारित सीमा के बाहर अथवा सार्वजनिक भूमि अथवा विभिन्न भवनों के उपयोग हेतु कामन लैण्ड(जैसे सीढियों, आने जाने का रास्ता, छत आदि) पर है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाये ।

(5) अवैध अध्यासन/शिकमी कब्जों के मामलों में यदि ऐसे व्यक्ति नियमितीकरण संबंधी शासनादेश संख्या 1769/36-33(अ)/69 दिनांक 15.4.78(जो 31.3.79 तक के लिए प्रभावी थी) में वर्णित पात्रता श्रेणी में(जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी सम्मिलित न होगी) आते हैं तो उन्हें नियमानुसार स्टैण्डर्ड रेन्ट पर भवन आवंटित करने की कार्यवाही की जाये, अन्य मामलों में वर्तमान मार्केट रेंट पर भूमि एवं भवन की लागत के आधार पर बिक्री एवं बेदखली की कार्यवाही की जाये ।

(6) स्टैण्डर्ड रेंट परिभाषित किये जाने की कार्यवाही अपने स्तर पर अविलम्ब सम्पादित करें तथा किसी बिन्दु विशेष पर शासन के आदेशों की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव अविलम्ब भेजा जाये ।

विनियमन की कार्यवाही किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 30 जून, 1988 तक होगी । कृपया तत्संबंधी समस्त कार्यवाही इस अवधि में पूर्ण करने की व्यवस्था करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये ।

भवदीय,

ह0/-(डी0के0मित्तल)
सचिव ।